झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) की धारा–2(J) के पश्चात् परिवर्धन ।

3. झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) के अध्याय–VI B के पश्चात् एक नये अध्याय का अंतरर्निवेश ।

4. झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) की धारा–44 ए0एस0 के बाद नये धारा यथा–44 ए0टी0, 44 ए0यू0 एवं 44 ए0भी0 का अंतरर्निवेश ।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति।

झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) का संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1–(i) यह अधिनियम झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

   I. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   II. यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) की धारा–2(J) के पश्चात् परिवर्त्तन

   1– जबतक विषय अथवा प्रसंग में कुछ प्रतिकूल नहीं हो उक्त अधिनियम की धारा–2(J) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराऐं परिवर्धित होगी यथा –

   (ट) सम्बद्धता प्रदान करने वाली समिति से अभिप्रेत है, ऐसी निबंधित समिति जिसकी दूसरी सहकारी समिति सदस्य हो तथा "संबद्ध" समिति से अभिप्रेत है, ऐसी निबंधित समिति जो किसी संबद्धकृ समिति का सदस्य हो;

   (ठ) "शीर्ष समिति" से अभिप्रेत है,

   (क) ऐसी समिति जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य हो तथा जिसके सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो तथा यदि उपबंध में ऐसा प्रावधान हो तो कोई व्यक्ति हो, अथवा;

   (ख) कोई अन्य सहकारी परिसंघ जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड हो तथा जिसे निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा शीर्ष समिति घोषित किया गया हो।

   (ड) "जोखित भारित आस्तियों अनुपात की पूंजी" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर स्थापित पूंजी की प्रयाप्तता;

   (ढ) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है, ऐसी केन्द्रीय समिति जो बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो;

   (ण) "केन्द्रीय समिति" से अभिप्रेत है,

   (क) ऐसी समिति जिसके सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो तथा यदि उपबंध में ऐसा प्रावधान हो तो कोई व्यक्ति हो, वशर्ते कि यह समिति प्राथमिक समिति, शीर्ष समिति या राज्य स्तरीय समिति न हो, अथवा;

(ख) ऐसी सहकारी समिति जिसे निबंधक सहयोग समितियॉ द्वारा केन्द्रीय समिति घोषित किया गया हो।

(त) "सनदी लेखाकार" से अभिप्रेत है, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अन्तर्गत भारत के सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य;

(थ) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा – 3 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक;

(द) "रिर्जव बैंक" से अभिप्रेत है, रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 (34 का 2) की धारा – 3 के अन्तर्गत गठित रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया;

(ध) "अल्पकालीन साख संरचना की सहकारी समिति" से अभिप्रेत है, एवं इसमें सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समितियॉ चाहे जिस नाम से भी वे जाने जाते हैं;

(न) "राज्य सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है, वह शीर्ष समिति जो बैंकिंग व्यवसाय कर रही है;

3. झारखण्ड सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1935 (अंगिकृत) के अध्याय – VI B के पश्चात् एक नये अध्याय का अन्तर्निवेश – इस अधिनियम के अध्याय – VI B के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय यथा अध्याय – VI C (अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियो के लिए विशेष उपबंध) अन्तर्निवेशित होगा।

4. झारखण्ड सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1935 (अंगिकृत) की धारा – 44 ए0एस0 के बाद नये धारा यथा 44 ए0टी0, 44 ए0यु0 एवं 44 ए0भी0 का अन्तर्निवेश होगा, यथा –

44 ए0टी0 इस अध्याय के उपबंध का अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत की सहकारी समितियों पर लागू होगा– इस अध्याय के अन्तर्निविष्ट उपबंध अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समितियों पर लागू होंगे।

44 ए0यु0 इस अध्याय का अध्यारोही प्रभाव – इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली या निबंधित समिति की उपविधियों के किसी अध्याय में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

44 ए0भी0

1. (क) जमाकर्त्ताओं एवं उधारकर्त्ताओं का सदस्यता का अधिकार :– प्रत्येक व्यक्ति या समूह जो न्यूनतम एक हजार रूपये लगातार कम से कम दो वर्षों तक या ऐसी राशि या समय तक जो प्राथमिक कृषि साख समिति की उपविधियों में उल्लिखित हो जमा रखता हो वह समिति की उपविधियों के उपबंधित न्यूनतम हिस्सापूंजी चुकता करके समिति का सदस्य बन सकेगा तथा उसे पूर्ण सदस्यता एवं मताधिकार प्राप्त होगा।

(ख) कोई समूह – उधारकर्त्ता उपविधि में उल्लिखित न्यूनतम हिस्सापूंजी की अदायगी कर प्राथमिक कृषि साख समिति का सदस्य बन सकेगा एवं उसे पूर्ण मताधिकार प्राप्त होगा।

2. अल्पकालीन साख संरचना की सहकारी समितियों को स्वायतता :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति को वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, विशेषतः

(i) जमा एवं ऋण पर ब्याज दर, भारतीय रिर्जव बैंक के द्वारा निर्गत दिशानिदेश के आलोक में होंगे;

(ii) उधार एवं विनियोग;

(iii) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण संबंधी निर्णय;

(iv) व्यक्तिगत नीतियों, कार्मिक, बहाली, पदस्थापना एवं कार्मिकों को क्षतिपूर्ति एवं;

(v) आन्तरिक नियंत्रण पद्धति, अंकेक्षण की नियुक्तियॉ एवं अंकेक्षण के लिए शुल्क;

3. राज्य सरकार के द्वारा अंशदान की सीमा :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति की हिस्सापूंजी उप समिति की कुल प्रदत्त हिस्सापूंजी के 25% से अधिक नहीं होगी, परन्तु राज्य सरकार या ऐसी समिति राज्य सरकार की हिस्सापूंजी घटाने के लिए स्वतंत्र होगी और समिति को ऐसा करने से राज्य सरकार द्वारा नहीं रोका जा सकेगा।

4. (क) सरकारी मनोनयन :– राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मंडल में राज्य सरकार द्वारा केवल एक मनोनयन किया जाएगा वशर्ते की उस बैंक में राज्य की हिस्सा भागीदारी हो।

(ख) प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी कमिटी में राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन नहीं किया जाएगा, चाहे उस समिति में राज्य सरकार द्वारा हिस्सापूंजी दी गई हो अथवा नहीं।

5. (क) सम्बद्धता परिवर्तन एवं स्वतंत्रता :– अर्हताओं का पालन कर अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की समिति, यदि ऐसा चाहें, सहकारी बन सकती है तथा झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित हो सकती है।

(ख) झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित समिति इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बन सकती है एवं Vice versa.

(ग) अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति अपनी पंसद की सम्बद्धक समिति का सदस्य बन सकती है अथवा वैसी समिति की सदस्यता छोड़ सकती है।

परन्तु यह कि सम्बद्धता समाप्त करने के पूर्व समिति सम्बद्धक समिति, जिससे सम्बन्ध विच्छेद कर रही हो, के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो, का निपटारा करेगी।

6. कार्यक्षेत्र की स्वतंत्रता :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति को किसी भी टियर (पायदान) में प्रवेश एवं निकास की स्वतंत्रता होगी तथा कार्यों के सम्पादन के लिए उनके किसी भौगोलिक परिसीमा का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

7. विनियोग की स्वतंत्रता :– अल्पकालीन साख संरचना की अन्तर्गत की सहकारी समिति रिर्जव बैंक के मार्ग निदेश, यदि कोई हो, के आलोक में अपनी निधि का रिर्जव बैंक द्वारा संचालित किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में जमा अथवा विनियोग कर सकती है न कि आवश्यक रूप से उस सम्बद्धक समिति में जिससे कि वह सम्बद्ध हो।

8. अल्पकालीन साख संरचना की सहकारी समिति किसी बैंक अथवा रिर्जव बैंक द्वारा संचालित वित्तीय संस्था से कर्ज प्राप्त कर सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक अथवा किसी पुनर्वित्त प्रदत्त करने वाली ऐजेन्सी से सीधे अथवा रिर्जव बैंक द्वारा संचालित अपनी पसंद के वित्तीय संस्था से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकती है एवं आवश्यक रूप से सम्बद्धक समिति से नहीं जिसका वह सदस्य है।

9. लाभांश का भुगतान :– नाबार्ड से परामर्शोपरान्त निबंधक द्वारा तैयार किये गये मार्ग निदेश के अनुसार प्राथमिक सहकारी साख समितियॉ अपने लाभांश का वितरण करेगी।

10. किसी मद में अंशदान की वाध्यता की समाप्ति :– राज्य सरकार या निबंधक के अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति को अपने शुद्ध मूल्य एवं अपने कोष को बढ़ाने के अतिरिक्त किसी मद में अंशदान करने का निदेश देने का अधिकार नहीं होगा।

11. प्रबंध कमिटी में किसी पद का धारण करने की योग्यताऐं :– यदि कोई व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत के सहकारी समिति में निर्वाचित, मनोनीत, सहयोजन नहीं हो सकता है और न ही प्रबंध कमिटी में बना रह सकता है यदि वह –

i) प्राथमिक कृषि साख समिति को छोड़कर अन्य किसी सहकारी समिति के सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति के सदस्य को जिसमें उस समिति के द्वारा नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक के लिए व्यतिक्रमी हो तो संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर;

ii) व्यतिक्रमी सदस्य हो या व्यतिक्रमी पैक्स का पदधारी हो वह कमिटी/समिति या बैंक के संचालक मंडल जैसा मामला हो निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा या प्रबंध समिति/संचालक मंडल के एक वर्ष से अधिक बने रहने की योग्यता नहीं रहेगी जबतक कि वह बकाये की अदायगी नहीं कर दे।

iii) ऐसा व्यक्ति हो जो वैसी समिति का प्रतिनिधित्व करता हो जो अवक्रमित हो गई हो या वह अपनी समिति की प्रबंध समिति का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया हो।

12 (क) अवक्रमण :– राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा रिर्जव बैंक के परामर्श से किया जाएगा।

(ख) इस अधिनियम की धारा– 41 के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का अवक्रमण निबंधक द्वारा केवल निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जाएगा :–

(i) यदि समिति लगातार तीन वर्षों से हानि में हो या;

(ii) यदि गम्भीर वित्तीय अनियमित्ताऐं या धोखा–धड़ी प्रकाश में आयी हो या;

(iii) यदि इस प्रकार का न्यायायिक निदेश हो या;

(iv) यदि लगातार तीन बैठकों में कोरम का अभाव रहा हो;

(v) यदि प्रबंध समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने अपना इस्तीफा समर्पित कर दिया हो तथा इसकी सूचना निबंधक को दे दी हो।

13. निर्वाचन :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन वर्तमान प्रबंध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराया जाएगा तथा प्रबंध समिति के अवक्रमण की समिति में उस समिति के अवक्रमण की तिथि के दो महीने के अन्दर निर्वाचन कराया जाएगा, परन्तु यह कि यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हो तो राज्य सरकार ऐसी निर्वाचन को अवक्रमण की तिथि से ऐसी अवधि तक, जो छः माह से अधिक नहीं होगी, के लिए सहमति प्रदान कर सकती है।

(ख) जिस समिति का अवक्रमण धारा–44 ए0भी0 की उप धारा–12 के खण्ड (ब) के उप खण्ड (i) एवं (ii) में वर्णित परिस्थितियों में हुआ है उस प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का सदस्य अवक्रमण की तिथि से लगातार तीन वर्षों तक पुनर्निर्वाचन, पुनर्नियुक्ति, पुनः मनोनयन अथवा प्रबंध समिति में सहयोजन हेतु योग्य नहीं होगा।

14 (क) उपविधियों का निबंधन :– अल्पकालीन साख संरचना की सहकारी समिति की उपविधियाँ एवं उपविधियों में संशोधन का निबंधन निबंधक के द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ख) यदि निबंधक संतुष्ट हो कि प्रस्तावित उपविधियों का संशोधन अधिनियम एवं अधिनियम के अध्यधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल है तो वह कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर उसे अस्वीकृत कर देंगे।

15. विवेकपूर्ण मानक एवं जोखिम भारित आस्तियों अनुपात की पूंजी :– निबंधक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का विवेकपूर्ण मानक एवं जोखिम भारित अस्तियों अनुपात की पूंजी का निर्धारण राष्ट्रीय बैंक की परामर्श से किया जाएगा।

16. राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए मापदण्ड :–

(क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंध समिति के सदस्यों या कार्यपालक पदाधिकारी को समय–समय पर रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना होगा।

(ख) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्रबंध समिति का कोई सदस्य या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की पदधारण करने वाला व्यक्ति रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता हो तो उस रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक की सलाह पर तुरन्त के प्रभाव से निबंधक अथवा नियुक्ति करने वाले प्राधिकार के द्वारा हटा दिया जाएगा।

17. प्रबंध समिति में विशेषज्ञ :–

(क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में कम से कम उतने विशेषज्ञों की संख्या रहेगी जिन्हें व्यवसायिक योग्यता या अनुभव हो जितनी भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित की गई हो यदि रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक के मंतव्य के अनुरूप ऐसे विशेषज्ञ जो रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित क्षेत्र में विशेष योग्यता या अनुभव रखते हों राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबंध समिति में निर्वाचित नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रबंध समिति में सहयोजन के द्वारा भरा जाएगा तथा उन्हें पूर्ण मताधिकार प्राप्त होगा बावजूद इसके कि;

(i) इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अध्यधीन बनाई गई नियमावली अथवा उपविधियों में प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या की सीमा;

(ii) यदि ऐसा विशेषज्ञ समिति का सदस्य हो अथवा नहीं;

(ख) यदि रिर्जव बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक के विचार से ऐसा व्यक्ति प्रबंध समिति में धारा–44 ए0भी0 की उपधारा–17 के खण्ड (क) के आलोक में सहयोजन द्वारा ले लिया गया हो जिसे भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित ज्ञान या अनुभव नहीं हो तो वैसी स्थिति में भारतीय रिर्जव बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श पर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निबंधक द्वारा उसे उस पद से हटा दिया जाएगा।

18. अंकेक्षण :– राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने लेखा का अंकेक्षण तथा सत्यापन राष्ट्रीय बैंक के द्वारा अनुमोदित पैनल के सनदी लेखाकार से करावेंगे।

19. विशेष अंकेक्षण :– निबंधक राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक का विशेष अंकेक्षण रिर्जव बैंक के अनुरोध पर ऐसे विचारार्थ विषय तथा प्रपत्र पर करायेगा, जैसा कि रिर्जव बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया हो एवं रिर्जव बैंक द्वारा नियत समय के भीतर विशेष अंकेक्षण का प्रतिवेदन रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक को उपलब्ध करावेगा।

20. "बैंक" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध :– कोई प्राथमिक कृषि सहयोग समिति या उसका संघ या परिसंघ ऐसे मामलों में छोड़कर जिन्हें बैंककारी अधिनियम 1949 (1949 के केन्द्रीय अधिनियम 10) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो बैंकर अथवा बैंकिंग के किसी दूसरे व्युत्पन्न का प्रयोग नही करेगा परन्तु यह कि यदि कोई प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति या इसका संघ या परिसंघ जिसे बैंककारी अधिनियम 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अन्तर्गत बैंक के तौर पर कार्य करने की अनुमति नहीं हो एवं वह झारखण्ड सहकारी समितियॉ (संशोधन) अधिनियम 2010 के प्रभावी होने के पूर्व अपने नाम के साथ बैंक शब्द का प्रयोग करने हेतु निबंधन प्राप्त हो तो इस उपबंध के लागू होने के तीन माह के भीतर अपने नाम परिवर्तित कर लेगी तथा बैंक या व्युत्पन्न शब्द यदि कोई हो तो हटा लेगी।

परन्तु यह भी कि यदि समिति के द्वारा उक्त उपबंध के आलोक में निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत अनुपालन में चूक की जाती है तो निबंधक इस अधिनियम के उपबंध के आलोक में उसके नाम में अनिवार्य संशोधन करेंगे।

21. सामान्य कैडर प्रणाली को समाप्त करना :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत किसी सहकारी समिति में कार्मिकों की सामान्य कैडर प्रणाली नहीं रहेगी तथा कैडर प्रणाली राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समाप्त हो जाएगी।

22. नियामक अधिकार का कार्यान्वयन :–

(क) निबंधक द्वारा रिर्जव बैंक द्वारा दिये गये नियामक अधिकारों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें रिर्जव बैंक के परामर्श प्राप्त होने के एक माह के भीतर राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति का अवक्रमण तथा परिसमापन सम्मिलित होगा।

(ख) रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक से अवक्रमण या परिसमापन की सलाह प्राप्त होने पर निबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासक या परिसमापक की नियुक्ति रिर्जव बैंक से सलाह प्राप्त होने के एक माह के भीतर हो जाय।

(ग) यदि रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक के मंतव्य के अनुरूप राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं पूरी करते हैं, तो निबंधक रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक से ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद से हटाने के सलाह प्राप्त होने पर अविलम्ब रिर्जव बैंक के आदेशों का अनुपालन करायेंगे।

(घ) यदि रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक के मंतव्य के अनुरूप ऐसा व्यक्ति जो राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति में सहयोजन द्वारा सदस्य बना हो, रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव नहीं रखता हो, तो रिर्जव बैंक या राष्ट्रीय बैंक से ऐसे सहयोजित निदेशक को हटाने के संबंध में सलाह प्राप्त होने पर निबंधक अविलम्ब इस आदेश का अनुपालन करायेंगे।

23. छूट :– अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत की कोई समिति रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक के परामर्श के बिना इस अधिनियम की धारा–62 (2) से किसी भी तरह इस अध्याय के प्रावधान के प्रयोग से विमुक्त नहीं हो सकेगी।

24. निरसन एवं व्यावृत्ति :–

(i) निरसन :– झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (झारखण्ड अध्यादेश सं० 1, 2011) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) व्यावृत्ति :– ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी।

यह विधेयक झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 57--50--30-03-2011 ।